भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 200

(जिसका उत्तर गुरुवार, 05 दिसंबर, 2013/14 अग्रहायण, 1935 (शक) को दिया गया)

<u>सीसीआई को विद्युत</u>

200. श्री उदय सिहः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (सीसीआई) ने उसे और अधिक शक्तियां देने की वकालत की है ताकि वह अनुचित बाजार प्रैक्टिसों की प्रभावी जांच करने के लिए सीधे तलाशी एवं जब्ती की कार्रवाई करने में समर्थ हो सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सीसीआई द्वारा जिन कंपनियों पर अर्थदंड लगाया गया है उनका ब्यौरा क्या है तथा उनके द्वारा इस सिलसिले में कितनी धनराशि जमा की गई है; और

(घ) अर्थदंड जमा न करने वाली कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री सचिन पायलट)

(क) और (ख): लोक सभा में प्रस्तुत प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2012 में अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को कथित तरीके से समर्थ बनाने का प्रस्ताव है। विधेयक अभी विचार और रिपोर्ट के लिए वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति के विचाराधीन है।

(ग): आयोग ने 25.11.2013 तक विभिन्न मामलों में 154 पार्टियों पर 8024.18 करोड़ रुपए की शास्ति लगाई है जिसमें से 58 पार्टियों से 19.37 करोड़ रुपए की धनराशि वसूल और सरकारी खाते में जमा की जा चुकी है।

(घ): भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (आर्थिक शास्ति की वसूली का तरीका) विनियम, 2011 में निहित प्रावधानों के अनुसार शास्ति वसूली योग्य है।

*****